HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2933/2023
CNR: RJHC020795232023 | URN: CMA / 4641U / 2023

1. Jasram S/o Gutyari, R/o Chokarwara Khurd Police Station And Tehsil Bhusawar District Bharatpur (Raj.) (Registered Owner Truck No RJ29GA5188)
2. Krishna Gopal S/o Jagdish Prasad Sharma, R/o Hingoota, PS Bhusawar District Bharatpur (Raj.) (Driver Truck No. RJ29GA5188)

----Non-Claimant-Appellants

Versus

Narandra Kumar S/o Lakan Singh, R/o Chokarwara Kala Tehsil Bhusawar At Present Residing At Pushapva Tika Colony Near Solanki Hospital Bharatpur (Raj.)

----Claimant-Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Sumer Chand Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Rajat Choudhary, Adv. for Mr. Ajatshatru Mina, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

08/07/2026

1. नॉन क्लेमेंट्स/अपीलांट्स वाहन मालिक व चालक (जिन्हें आगे 'अपीलांट्स' के नाम से संबोधित किया जाएगा) की ओर से प्रस्तुत **दीवानी विविध अपील संख्या–2933/2023,** धारा–173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत **न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, भरतपुर (राज.)** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या–209/2018, बउनवान नरेन्द्र कुमार बनाम जसराम व अन्य** में पारित **निर्णय दिनांक 21.02.2022** (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. दावाकर्ता/रेस्पोंडेंट **नरेन्द्र कुमार** द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप **कुल 90,24,000/– रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु

क्लेम याचिका विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याची को **कुल 12,14,695/– रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि **मय ब्याज 06 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स वाहन स्वामी व चालक की ओर से प्रस्तुत अपील, विद्वान अधिकरण के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करवाये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स वाहन मालिक व चालक का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अप्रार्थीगण को बहस का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। उनका यह भी तर्क रहा है कि दावाकर्ता/आहत स्वयं लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकिल चला रहा था, इस कारण मामले की घटना में स्वयं दावाकर्ता/आहत योगदायी उपेक्षा का दोषी रहा है। उनका यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्ता/आहत की आय 19,700/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित कर व उपरोक्त आय पर 40 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि कर त्रुटि कारित की गई है तथा दावाकर्ता/आहत के शरीर पर 18 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता मानी जाकर त्रुटि कारित की गई है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलांट्स वाहन मालिक व चालक द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर विद्वान अधिकरण के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता दावाकर्ता/आहत की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलांट्स वाहन मालिक व चालक की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स वाहन मालिक व चालक द्वारा मुख्यतः यह आपत्ति ली गई है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अप्रार्थीगण को बहस का कोई

अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है। इस संबंध में पत्रावली के साथ संलग्न विद्वान अधिकरण के अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विद्वान अधिकरण द्वारा दिनांक 19.02.2021 की आदेशिका में दावाकर्ता/आहत की ओर से अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं किये जाने के फलस्वरूप साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस अंतिम में नियत की गई थी, जिसके उपरांत दिनांक 19.02.2021 से दिनांक 19.02.2022 तक पत्रावली लगातार बहस अंतिम के स्तर पर नियत रही है। तत्पश्चात् दिनांक 19.02.2022 को भी अप्रार्थीगण की ओर से बहस नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्रार्थी की ओर से एकपक्षीय बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 21.02.2022 को नियत की गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण को बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये थे, किन्तु बावजूद अवसर अप्रार्थीगण की ओर से बहस किये जाने हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार अप्रार्थीगण के पास पर्याप्त अवसर था कि वे प्रकरण में बहस करते, किन्तु बावजूद अवसर उनके द्वारा बहस नहीं की गई। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिकरण द्वारा एकपक्षीय बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया गया था। अतः इस संबंध में अपीलांट्स की ओर से ली गई आपत्ति निरस्त की जाती है।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से एक अन्य आपत्ति यह ली गई है कि दावाकर्ता/आहत स्वयं लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकिल चला रहा था, इस कारण मामले की घटना में स्वयं दावाकर्ता/आहत योगदायी उपेक्षा का दोषी रहा है। इस संबंध में पत्रावली पर संलग्न नक्शा मौका के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वक्त घटना दावाकर्ता/आहत स्वयं की मोटरसाईकिल से छौंकरवाडा से जयपुर की ओर अपनी सही दिशा में जा रहा था तभी प्रश्नगत वाहन ट्रक संख्या आरजे–29–जीए–5188 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए गलत दिशा में जाकर मोटरसाईकिल चालक जो कि अपनी सही दिशा में चल रहा था, के टक्कर मारी है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत वाहन चालक के विरुद्ध बाद अनुसंधान आरोप पत्र भी न्यायालय में पेश किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से यह प्रकट होता है कि मामले की घटना में स्वयं प्रश्नगत वाहन ट्रक के

चालक की योगदायी उपेक्षा अथवा लापरवाही रही है, जिस कारण मामले की घटना घटित हुई है। अतः दावाकर्ता/आहत की योगदायी उपेक्षा के संबंध में ली गई उपरोक्त आपत्ति भी निरस्त की जाती है।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा एक अन्य आपत्ति यह भी ली गई है कि विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्ता/आहत की आय 19,700/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित कर व उपरोक्त आय पर 40 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि कर त्रुटि कारित की गई है तथा दावाकर्ता/आहत के शरीर पर 18 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता मानी जाकर त्रुटि कारित की गई है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 08.12.2017 की बताई गई है तथा वक्त घटना दावाकर्ता/आहत नरेन्द्र कुमार को क्लब वन क्लास कम्पनी, एयरपोर्ट लॉन्ज रेडिफाईंड, जयपुर में हैड शेफ के पद पर कार्यरत होना बताते हुए प्रतिमाह 19,700/– रुपये वेतन प्राप्त करना बताया गया है, जिसके संबंध में दावाकर्ता/आहत द्वारा क्लब वन क्लास कम्पनी, एयरपोर्ट लॉन्ज रेडिफाईंड, जयपुर द्वारा जारी अपाइंटमेंट लेटर प्रदर्श–11 पत्रावली पर पेश किया गया, जिसमें दावाकर्ता/आहत को दिनांक 01.08.2015 से उक्त कम्पनी में हैड शेफ के पद पर नियुक्ति दिया जाना तथा प्रतिमाह 19,700/– रुपये वेतन दिया जाना अंकित किया गया है। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त अपाइंटमेंट लेटर प्रदर्श–11 पर विश्वास करते हुए उसमें दर्शाई गई आय 19,700/– रुपये को दावाकर्ता/आहत की प्रतिमाह आय निर्धारित करते हुए उक्त निर्धारित आय पर **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार वक्त घटना दावाकर्ता/आहत की 24 वर्ष 10 माह की आयु को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत अर्थात् 7,880/– रुपये की बढ़ोतरी करते हुए दावाकर्ता/आहत की कुल मासिक आय 27,580/– रुपये निर्धारित की गई है।

9. तत्पश्चात् विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्ता/आहत के शरीर पर कारित हुई 23.64 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में 18 प्रतिशत आंका जाकर, निर्धारित मासिक आय 27,580/– रुपये का 18

प्रतिशत अर्थात् 4,964.4/– रुपये की दावाकर्ता/आहत को प्रतिमाह आय की क्षति होना मानते हुए उपरोक्त मासिक आय की क्षति पर **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रासंपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धानत के अनुसार वक्त घटना दावाकर्ता/आहत की आयु को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में होने वाली आय की क्षति की गणना हेतु 18 का गुणक प्रयोग करते हुए कुल 10,72,310/– रुपये की राशि दावाकर्ता/आहत को आय की क्षति के मद में तथा इलाज के दौरान व्यय राशि, अस्पताल में भर्ती रहने हेतु, शारीरिक व मानसिक पीड़ा, पौष्टिक आहार, परिवहन तथा परिचारक/सहायक की मदों में कुल 1,42,385/– रुपये की राशि, इस प्रकार कुल 12,14,695/– रुपये की राशि दावाकर्ता/आहत को दिलवाई गई है, जो उचित प्रतीत होती है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपीलांट्स वाहन मालिक व चालक द्वारा दावाकर्ता/आहत की आय के संबंध में, भविष्य वृद्धि तथा स्थाई निर्योग्यता के संबंध में उठाई गई उपरोक्त आपत्तियां भी सारहीन होने से निरस्त की जाती हैं।

10. तदनुसार उपरोक्त समस्त विवेचन अनुसार अपीलांट्स वाहन मालिक व चालक की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन व बलहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विद्वान अधिकरण के निर्णय दिनांक 21.02.2022 की पुष्टि की जाती है।

11. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख, संबंधित विद्वान अधिकरण को अविलम्ब लौटाया जावे।

12. तदनुसार उपरोक्त अपील निरस्त की जाती हैं।

13. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निरस्त किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

32/LOKESH RAJ